फर्द अहकाम

दौलता बनाम भगवान वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 88/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	09/11/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। उक्त पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व फर्दात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा बहस को मनन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद को मुताबिक फर्दात के तकासमा हेतु निर्णीत किया जाता है। अतः वाद में बटवारा किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा ले कर हो तथा बाद तमील होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
/2017	06 / 06 / 2017	09 / 12 / 2024

छोटया पुत्र कोज्या जाति गुर्जर निवासी सालेरी की ढाणी, मीणों का बाढ, नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

भगवान पुत्र चतुरू जाति हरियाणा ब्राहण निवासी सालेरी की ढाणी, नायला।
ग्यारसी देवी पत्नी देवनारायण गुर्जर निवासी सालेरी की ढाणी, नायला।
मूली देवी पत्नी रामधन जाति गुर्जर निवासी सालेरी की ढाणी, नायला।
लाडा देवी पत्नी प्रभूनारायण जाति गुर्जर निवासी सालेरी की ढाणी, नायला।
मिट्ठू देवी पत्नी चेतनकुमार गुर्जर निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा नायला।
सुनील दत्त पुत्र शिवदत्त जाति ब्राहमण निवासी 29, गावर्धन कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
राज0 सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।
श्री रामजीलाल मीना :– वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.300है0 ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार मौका कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 20.06.2017 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों की समझाईश की गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम

मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
छोट्या पुत्र कोज्या हि0 7/72, ग्यारसी देवी पत्नी देवनारायण हि0 5/54, मूली देवी पत्नी रामधन हि0 5/108, मिटठू देवी पत्नी चेतनकुमार हि0 1085/7344, लाडा देवी पत्नी प्रभूनारायण हि0 5/108, जाति गुर्जर, गोपाल, रमेश चन्द पिता भगवान सहाय, कमला, राधा, नाथी देवी पुत्रीया भगवान सहाय हि0 3/8, जाति हरियाण ब्राहमण सा0देह, रूचिवैद पत्नी आशीष वैद हि0 53/544 जाति जैन सा0 ए. 24 कृष्ण नगर द्वितीय लालकोठी, जयपुर, सूर्यकान्ता मेहता पत्नी राजेन्द्र कुमार मेहता हि0 53/544 जाति जैन सा0 35, वसुन्धरा कॉलोनी, टोक रोड जयपुर, खातेदार	281	2.7300	गै.मु. 0.0100 चाही 2.7200	81.60
योग	किता 1	2.7300	—	81.60

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
छोट्या पुत्र कोज्या हि0 2654/11743, ग्यारसी देवी पत्नी देवनारायण हि0 2528/11743, मिटठू देवी पत्नी चेतनकुमार हि0 4033/11743, लाडा देवी पत्नी प्रभूनारायण हि0 1264/11743, वंशीधर, बद्रीचन्द पिता रामधन, केसर, लक्ष्मा पुत्रीया रामधन हि0 1264/11743, जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	281/2	1.1743	—	—
योग	किता 1	1.1743	—	—
गोपाल, रमेश चन्द पिता भगवान सहाय, कमला देवी, नाथी देवी, राधा पुत्रीया भगवान सहाय हि0 ब0 हि0 जाति हरियाण ब्राहमण सा0देह खातेदार	281/3	1.0237	—	—
योग	किता 1	1.0237	—	—
रूचिवैद पत्नी आशीष वैद हि0 1/2 जाति जैन सा0 ए. 24 कृष्ण नगर द्वितीय लालकोठी, जयपुर, सूर्यकान्ता मेहता पत्नी राजेन्द्र कुमार मेहता हि0 1/2 जाति जैन सा0 35, वसुन्धरा कॉलोनी, टोक रोड जयपुर, खातेदार	281/1	0.5320	—	—
योग	किता 1	0.5320	—	—

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(3/3)

विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही तिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के ाई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया ाम पर्चा डिक्री जारी है।

आज .दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ